रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

Tyagi
23/4/86

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 141] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 1986/फाल्गुन 30, 1907
No. 141] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 1986/PHALGUNA 30, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1986

सं. 200/86-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 517(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 185/86-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1986 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के अंतर्गत आने वाले माल को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1), जैसा कि वह केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) के प्रारम्भ के ठीक पहले विद्यमान था, की पहली अनुसूची की मद सं. 68 के अंतर्गत आते थे, प्रथम वर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह तब जब कि—

(1) ऐसे माल केन्द्रीय सरकार के कारखानों द्वारा विनिर्मित किए जाते हैं और उक्त सरकार के विभागों द्वारा उपयोग के लिए आशयित हैं ; या

(2) ऐसे माल किसी राज्य सरकार के किसी कारखाने द्वारा उन प्रयोजनों के लिए विनिर्मित किए जाते हैं जो उस सरकार के सामान्य कृत्यों के आनुषंगिक रूप में विधि अनुसार संसद द्वारा घोषित हों ; या

(3) ऐसे माल किसी ग्रामोद्योग के उत्पाद हैं और खादी और ग्रामोद्योग आयोग यह प्रमाणित करता है कि उक्त उत्पाद, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट, या विनिर्दिष्ट रूप में समझे गए, किसी ग्रामोद्योग के असली उत्पाद हैं और उन्हें उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बाजार में लाया गया है, या

(4) ऐसे माल का किसी कारागार में उत्पादन किया जाता है ।

स्पष्टीकरण .—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "कारागार" पद से कोई ऐसा जेल या स्थान अभिप्रेत है जिसका उपयोग बंदियों के निरोध के लिए किसी राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से किया जाता है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है—

(1) कोई ऐसा स्थान, जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उप-कारागार के रूप में घोषित किया गया है ; और

(2) कोई सुधारालय, बोर्स्टल संस्था या उसी प्रकार की अन्य संस्था ।

2. यह अधिसूचना 31 अगस्त, 1986 तक, जिसमें यह तारीख भी है, प्रवृत्त रहेगी ।

[फा. सं. 355/7/85-टी. आर. यू (सी ई टी बी)]

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATIONS

New Delhi, the 21st March, 1986

### No. 200|86-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 517(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 185|86-Central Excises, dated the 1st March, 1986, the Central Government hereby exempts goods falling under the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), and which were falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) as it existed immediately before the commencement of the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), from the whole of the duty of excise leviable thereon which is specified in the first mentioned Schedule :

Provided that—

(i) such goods are manufactured by the factories belonging to the Central Government and are intended for use by the Departments of the said Government; or

(ii) such goods are manufactured by a factory belonging to any State Government for purposes declared by Parliament by law to be incidental to the ordinary functions of that Government; or

(iii) such goods are products of village industry and the Khadi and Village Industries Commission certifies that the said products are the genuine products of a village industry, specified, or deemed to be specified, in the Schedule to the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) and are marketed in accordance with the provisions of the said Act; or

(iv) such goods are manufactured in a prison.

Explanation .—For the purposes of this Notification, the expression 'prison' means any jail or place used permanently or temporarily under the general or special orders of a State Government for the detention of prisoners and includes—

(i) any place which has been declared by the State Government by general or special order to be a subsidiary jail; and

(ii) any reformatory, Borstal institution or other institution of a like nature.

2. This Notification shall remain in force upto and inclusive of the 31st day of August, 1986.

[F. No. 355|7|85-TRU(CETB)]

### सं. 201/86-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 518(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के यथास्थिति (राजस्व और बीमा विभाग) या (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखंडित करती है, अर्थात् —

1. सं. 56/75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1975 ।

2. सं. 57/75-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1975 ।

3. सं. 116/75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1975 ।

4. सं. 12/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 6 जनवरी, 1979 ।

[फा. सं. 355/7/85-टी. आर. यू (सी ई टी बी)]

के. एस. वेंकटगिरी, अवर सचिव

### No. 201|86-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 518(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the following Notifications of the Government

of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) or (Department of Revenue) as the case may be, namely :—

1. No. 56|75-Central Excises, dated the 1st March, 1975.
2. No. 57|75-Central Excsies, dated the 1st March, 1975.
3. No. 116|75-Central Excises, dated the 30th April, 1975.
4. No. 12|79-Central Excises, dated the 6th January, 1979.

[F. No. 355|7|85-TRU(CETB)]

K. S. VENKATAGIRI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS ,DELHI-110054, 1986